

कार्यालय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री

पिता/पति श्रीग्राम/मुहल्ला.....

पोस्टथाना.....अनुमण्डल.....

जिला.....राज्य.....के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में

आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम १९९१ के

अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची १) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची २) के अन्तर्गत जाति

के सदस्य है।

नेअ : जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

.....